9.06.2020

Dr. Purnima Singh
Department of Political Science
B.A part II paper - III Indian Government and politics. Topic - Fundamental Rights. Lecture - 52

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights).

भारत के संविधान के भाग तीन (Part III) के अनुच्छेद 14 से 32 में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का स्तर सामान्य कानूनी अधिकारों से ऊपर होता है। ये अधिकार देश का प्रशासन चलाने में मौलिक हैं। ये अधिकार नागरिकों के विकास के लिए अनिवार्य माने गए हैं। ये मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार न्यायसंगत है। इन अधिकारों को संविधान के मूलभूत ढाँचे का भाग माना गया है। संसद इन मौलिक अधिकारों में इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे मौलिक अधिकारों के स्वरूप (संविधान के मौलिक ढाँचे) में परिवर्तन हो। ये देश के सर्वोच्च कानून माने गए हैं। राज्य या केन्द्र सरकार इन मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती। इन अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों को सौंपी गई है।

जब 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान में 7 मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे। दिसम्बर, 1978 में संसद ने 44 वाँ संवैधानिक संशोधन पारित करके सम्पत्ति का अधिकार (Right to Property)

मौलिक अधिकार वाले अध्याय से से निलम्बित कर दिया था। 44वां संवैधानिक संशोधन 20 जून 1978 को क्रियान्वित हुआ तथा इस तिथि से भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई थी। मई 2002 में संसद द्वारा 93वां संवैधानिक संशोधन पास करके 'शिक्षा का अधिकार' (Right to education) को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था। दिसम्बर, 2002 में राष्ट्रपति ने 93 वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी थी।

समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18
(Right to Equality, Article 14-18)

संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। समानता के अधिकार के कई पक्ष है, जो निम्नलिखित है —

(a) कानून के समानता, अनुच्छेद 14 (Equality before Law Article 14) — अनुच्छेद 14 के अनुसार सब व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। कानून की दुनिया में ऊंच-नीच, अमीर-गरीब रंग या नस्ल जाति-धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता।

भेदभाव की मनाही अनुच्छेद 15 (Prohibition of Discrimination, Article 15) — Article 15 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जिसके अधीन धर्म, नस्ल, जाति, लिंग जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में भेदभाव किया जा सकता है।

कुछ वर्गों के लिए अपवाद (Exception for certain categories) संसद अनुच्छेद 15 के अधीन ही निम्नलिखित वर्गों के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएँ कर सकती है -

(1) स्त्रियों तथा बच्चों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार विशेष प्रबन्ध कर सकती है, यदि सरकार कानून द्वारा स्त्रियों तथा बच्चों को विशेष सुविधाएँ प्रदान करती है तो ऐसा करने से इस अनुच्छेद की अवहेलना नहीं होगी जिसको अधीन जन्म, जाति लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करने की मनाही की गई है।

2. राज्य पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित कबीलों के लोगों की भलाई के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है।

(2) अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 (Equality of opportunity, Article 16) - इस अनुच्छेद के अधीन यह व्यवस्था की गई है कि -

(1) रोजगार या राज्य के अधीन किसी पद की नियुक्ति के लिए सब नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त होगी।

(2) धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर रोजगार या राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति सम्बन्धी भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अपवाद (Exceptions)

(1) संसद किसी राज्य या संघीय क्षेत्र में किसी भी पद सम्बन्धी उस राज्य अथवा संघ क्षेत्र में कानून द्वारा निवास अथवा आवास की शर्त निश्चित कर सकती है।